बिहार सरकार

बिहार महादलित विकास मिशन
(महादलितों के विकास हेतु किए जा रहे कार्य)

1. विकास मित्र

सरकार के सभी योजनाओं को महादलितों के विकास हेतु प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत**(ग्रामीण) एवं वार्ड/वार्ड समुह (शहरी)** से बहुलता वाले महादलित समुदाय के एक–एक विकास मि**त्र** का चयन **किया जा रहा** है। विकास मित्रो के चयन में 50 प्रतिशत महिलाओं **के लिए आरक्षित** किया **गया है।** किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति के पंचायत से ही किया जाएगा, तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जाएगा। प्रतिमाह 3000/– रू0 मानदेय **निश्चित** किया **गया है।** अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से **तीन चरणों में** चयन **किया गया है।**

विकास मित्र सरकार एवं महादलित परिवारों के बीच एक कड़ी के रुप में एवं महादलित समुदाय में एक Change Agent **के रुप में कार्य कर रहे हैं। विकास मित्र नियोजन से संबंधित प्रक्रिया के तीन चरणों के उपरांत** 9875 **रिक्तियों में 8930 विकास मित्रों का चयन कर लिया गया है** 945 विकास मित्रों का चयन करना शेष हैः–

चरणवार स्थितिः

चरण	आवेदन की तिथि	शैक्षणिक योग्यता	कुल नियोजन की संख्या	योगदान की तिथि	प्रशिक्षण
प्रथम चरण	**22/02/2010**	**मैट्रिक या समकक्ष**	**6426**	14**/04/**2010	2 **राज्य स्तरीय** 11 **प्रमंडल स्तरीय**
द्वितीय चरण	**01/06/2010**	**पुरुष- मैट्रिक या समकक्ष** **महिला- आँठवीं पास**	**1753**	15**/07/**2010	
तृतीय चरण	**14/07/2010**	**पुरुष- पाँचवीं तक** **महिला- साक्षर तक**	**751**	**01/09/**2010	
		कुल	**8930**		

रिक्तियो को भरने के लिए शीघ्र ही चतुर्थ चरण की शुरुआत की जायेगी ।

विकास मित्रों को साईकिल देने के लिए जिलों को कुल 163 **लाख रूपए विमुक्त की गई है। साईकिल की राशि का वितरण शीघ्र कर लिया जाना है।**

विकास मित्रों को मानदेय देने के लिए दिसम्बर 2010 **तक के लिए 22.48 करोड़ रु० की राशि विमुक्त कर दी गई है।** जिसमें अक्टुबर माह तक सभी जिलों में मानदेय का भुगतान कर दिया गया है।

चतुर्थ चरण में रिक्त स्थानों पर नियोजन हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। दिनांक 20/12/2010 से 31/01/2011 तक नियोजन कार्य पुरा किया जायेगा।

2. मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना

वित्तीय वर्ष 2009-10 में सरकारी विद्यालयों **के** 1 से 5 वर्ग तक के सभी महादलित छा**त्र**–छात्राओं को 500/– रु0 पोशाक, जूता आदि क्रय करने हेतु नगद राशि उपलब्ध करायी गयी। यह कार्रवाई सभी जिलों में दिनांक 11 जुलाई 2009 को पंचायत स्तरीय **शि**विर लगाकर जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभार्थियों को राशि का भुगतान किया गया। सभी जिलों में वितरण समारोह का फोटोग्राफी/विडियोग्राफी भी किया गया। अब तक लगभग 842537 छा**त्र–छात्राएँ** लाभान्वित **हो चुके** है। **कुल 44 करोड़ 8 लाख व्यय किया गया।**

वित्तीय वर्ष 2010-11 मे इस योजना के अंतर्गत पहले और दूसरे वर्ग के छात्र-छात्राओं को आच्छादित किया जा रहा है जिसमे लगभग 38 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। तृतीय से पंचम वर्ग के छात्र-छात्राओं को मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आच्छादित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 36 करोड़ 90 लाख रुपये विमुक्त किए गयें हैं जिसमें प्रथम किस्त के रुप में विभिन्न जिलों को 14 करोड़ 3 लाख रुपये एवं द्वितीय किस्त के रूप में 22 करोड़ 64 लाख रूपए की राशि उपलब्ध करवायी गई है। कुल लाभांवितों की संख्या लगभग 7 लाख 20 हजार होगी। 26 जनवरी 2011 तक पोषाक की राशि के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकतानुसार जिला से माँग के आधार पर शेष राशि विमुक्त की जाएगी।

3. दशरथ मांझी कौशल विकास योजना

महादलित परिवार के **युवक एवं युवतियों** के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए **पाँच** प्रतिष्ठित संस्था/ गैर सरकारी संगठनों का चयन **किया गया** है।
व्यवसाय एवं प्रशिक्षण क्षेत्र का विवरण निम्नवत हैः–

क्रम	कोर्स का नाम	अवधि	योग्यता	प्रस्तावित जिला	संस्था का नाम
1	कम्प्युटर प्रशिक्षण (डी0 टी0 पी0 एवं इंटरनेट)	3 माह	दसवीं पास	सभी जिला	ECIL
2	ईलेक्ट्रीकल वायरींग	3 माह	आठवीं पास	पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर	ECIL
3	कम्प्युटर एकाउंटिंग (टैली)	4 माह	इंटरमिडिएट पास	सभी जिला	Tally
4	भवन निर्माण (ड्राफ्ट्समैन)	8 सप्ताह	इंटरमिडिएट पास	पटना एवं गया	IIIM Ltd.

5	भवन निर्माण (साईट सपोर्ट)	8 सप्ताह	आठवीं पास	पटना, गया, नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर, मधुबनी, नवादा	IIIM Ltd.
6	सिक्युरीटी गार्ड्स प्रशिक्षण	4 सप्ताह	आठवीं पास	पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर	IIIM Ltd
7	मोबाईल रिपेयरींग	8 सप्ताह	इंटरमिडिएट पास	पटना	IIIM Ltd
8	ब्युटीसियन कोर्स	6 माह	आठवीं पास	पटना, गया, मुज़फ्फरपुर	DORD
9	हॉस्पीटलिटी एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	15 दिन	पांचवीं पास	पटना	NIDAN
	कुल लक्षित संख्या - 13,530				

इस योजना की मुख्य विशेषताएँ

1- **पूर्णत: नि:शुल्क**
2- **सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद नियोजन की व्यवस्था**
3- **प्रशिक्षण के दौरान मिशन के द्वारा स्टाईपेंड (75 रुपये प्रति दिन के दर से पुरी प्रशिक्षण अवधि में)**
4- **प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण पाठ्य-सामग्री/प्रशिक्षण टूल-किट नि:शुल्क**
5- **व्यक्तित्व विकास के लिए कोर्स मॉड्युल का समावेश**
6- **बेहतर कैरियर एवं उज्जवल भविष्य**
7- **आत्म-विश्वास का विकास**

योजनान्तर्गत कुल 13530 युवक/युवतियों को लाभान्वित किया जायेगा। **प्रथम बैच में 3370 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दी जा चुकी है । सिक्युरीटी गार्ड्स प्रशिक्षण की सफलता को देखते हुए द्वितीय बैच के रुप में सिक्युरीटी गार्ड्स प्रशिक्षण को बिहार के सभी 38 जिलों मे विस्तारित किया गया है। सिक्युरीटी गार्ड अरवल एवं मधेपुरा को छोड़ कर बिहार के सभी जिलों मे प्रशिक्षण पुरी कर ली गयी है । द्वितीय बैच में 1155 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दी जा चुकी है ।**

शैक्षणिक योग्यता एवं आय के आधार पर की गई ।

- **कुल ट्रेड - 9**
- **कुल चयनित एजेंसी - 5**
- **कुल लक्षित संख्या - 13530**
- **कुल प्रशिक्षित - 4525**
- **कुल प्लेसमेंट - 1810**
- **छात्रवृत्ति वितरित – 2.10 करोड़**
- **कुल प्रशिक्षण व्यय – 5.30 करोड़**

दशरथ माँझी कौशल विकास योजना के तहत दूसरा चरण शीघ्र आरंभ किया जाना है । दशरथ माँझी कौशल विकास योजना 2010-11 के लिए 23 विभिन्न ट्रेडों में अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है । अभिरूचि 2010 तक थी । अभिरूचि प्रस्ताव संसाधित किये जा रहे है ।

4. सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण

योजना अन्तर्गत महादलित टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण महादलितों के समाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में किया जा रहा है। भवन का डिजाईन चबुतरा आधारित चारों तरफ पाईप वाला कॉलम एवं उपर शेड बना होगा। इस तरह की संरचना पर कम लागत आयेगी और अधिक संख्या में समुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा। **इसके निर्माण मे लगभग 4 लाख 50 हजार रुपया व्यय होगी । समुदायिक भवन सह- वर्कशेड का निर्माण जिला-पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से विकास मित्र (अभिकर्ता) के द्वारा करवाया जा रहा है।**

समुदायिक भवन सह- वर्कशेड की मार्गदर्शिका विकसित की गयी है जिसमे विकास मित्र के माध्यम से निर्माण किया जायेगा ।

अब तक 12 जिलों से जमीन उपलब्धता का प्रतिवेदन बिहार महादलित विकास मिशन को प्राप्त हुआ है ।

500 रू0 की राशि विमुक्त की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 650 सामूदायिक भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। विभाग से राशि प्राप्त होते ही शीघ्र जिलों को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

30 करोड़ रु0 वर्ष 2010-11 व्यय किया जायेगा ।

5. सहायता (कॉल सेंटर)

'सहायता' बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा स्थापित पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉल सेन्टर है। इस कॉल सेन्टर की स्थापना मुख्य रूप से अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के अन्तर्गत की गई है।'सहायता' अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले शिकायतों को प्राप्त करेगा और उसका समुचित निराकरण करने में अभिवंचित वर्ग की सहायता करेगा। इस कार्य के अतिरिक्त **'सहायता'** बिहार महादलित विकास मिशन एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी मांगकर्ता तक पहुँचाएगी साथ ही मिशन एवं विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी लाभुकों, जो अभिवंचित वर्ग के सदस्य हैं, से प्राप्त कर समाधान के लिए संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रेषित करेगी।

'सहायता' कॉल सेन्टर की तरह कार्य कर रहा है इस हेतु एक टॉल फ्री नं0–18003456345 बी0एस0एन0एल0 से लिया गया है जिस पर एक साथ 30 कॉल आने जाने

की सुविधा है। वर्तमान में एक शिफ्ट में छः 'सहायता' प्रतिनिधि (कॉल एजेंट) के एक साथ कार्य करने की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान समय में सहायता 10 बजे से 5 बजे तक 3 ऑपरेटरों द्वारा इन्दिरा भवन, बिहार महादलित आयोग के कार्यालय में संचालित करवाया जा रहा है।

कुशल निष्पादन हेतु नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति।

Total- Call – 1576 (31/11/10 तक)

अत्याचार	–	52
सूचना	–	706
समस्या	–	817

6. विशेष विद्यालय -सह- छात्रावास

दानापुर में (पायलट प्रोजेक्ट के रुप में) मुसहर बालिकाओं के लिए नारी-गुंजन गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से चलवाया जा रहा है। मुसहर बालिकाओं के छात्रावास के प्रस्ताव को विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास कार्यक्रम से आच्छादित किया गया है । बिहार मे मुसहर महिलाओं मे साक्षरता दर 0.9% होने के कारण विशेष बल के रुप मे यह कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है । छात्रावास मे विभिन्न कक्षाओं की 125 मुसहर साथ ही उन्हे कम्प्यूटर का भी पूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है । उपयोगिता के आधार पर चार किस्तों मे 30 लाख 80 हजार रुपये उक्त संस्था को प्रदान की जाएगी । प्रथम किस्त के रुप मे 11 लाख 41 हजार रुपये उक्त संस्था को प्रदान की गयी है ।

कम्प्युटर शिक्षा शुरू कर दी गई है।

7. महादलित शौचालय निर्माण योजना

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत् व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु महादलित परिवार (लाभार्थी) के सहांश (Contribution) 300/– रु0 प्रति परिवार को बिहार महादलित विकास मिशन की ओर से देकर निःशूल्क शौचालय निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के तहत 7.00 करोड़ रु0 की राशि मिशन के **द्वारा** जिला परियोजना पदाधिकारी **सह जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराकर जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्यावित किया जा रहा है** । सभी जि**ले** में योजना कार्यान्वित की जा रही है**। अब तक**

प्राप्त आंकड़ा के अनुसार 1,04,550 **शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करा दी गयी है जिसमें कुल 3 करोड़** 13 **लाख रु० राशि व्यय किया गया है।**

शहरी क्षेत्र में भी महादलित शौचालय निर्माण के लिए योजना तैयार की जा रही है। महादलित शहरी शौचालय निर्माण योजना के लिए अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे जिसमें पचास एजेंसियों ने भाग लिया 6 एवं 8 जुलाई 2010 को प्रस्तुतिकरण दिया गया। एजेंसियों द्वारा शहरी शौचालय के संख्या का आकलन तदोपरांत निर्णय लिया जाएगा ।

8. मुख्यमंत्री नारी ज्योति कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत महादलित महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित कर उनका आर्थिक **मधुबनी एवं खगड़िया के स्वयं सहायता समुह के सदस्यो को दशरथ माँझी कौशल विकास योजना मे प्राथमिकता से चयन करने सबंधी निर्देश दिये गये है ।**

भोजपुर एवं वैशाली मे रुरल बैकयार्ड पाँलट्री डेवलेपमेंट योजना (मुर्गी ग्राम योजना) का संचालन किया जा रहा है । इस योजना के तहत कुल । मिशन द्वारा योजना कार्यावयन हेतु पशुपालन विभाग को 215(दो सौ 2010 को किया गया । इस योजना के अंतर्गत 48 मदर यूनिट स्थापित हो चुके है । उपरोक्त छ: जिलों मे गया मे 9360 एवं जहानाबाद मे 12493 चुजे मदर यूनिट मे पहुचाँये जा चुके है ।

9. महादलित आवास भूमि योजना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा महादलिता परिवारों का सर्वेक्षण करा कर भूमिहीन/ आवासहीन परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे परिवारों को प्रति परिवार 3 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। 1,157 एकड़ गैर मजरूआ आम जमीन 41,293 परिवारों के बीच बंदोबस्त करने एवं 1,462 एकड़ गैर म**ज**रूआ खास जमीन 49,378 परिवारों के बीच बन्दोबस्त करने की कार्रवाई किया जा रहा है। शेष बचे 1,11,428 महादलित परिवारों के लिए 9,040 एकड़ रैयती जमीन के क्रय कर उपलब्ध कराया जाएगा। **रैयती जमीन क्रय के लिए राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग द्वारा 67 करोड़ रुपये बिहार के विभिन्न जिलो को आवंटित किये गये है । राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग द्वारा** इस हेतु एक House site Scheme **तैयार कर कार्यावित किया जा रहा है।**

10. मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना

महादलितों को मुख्य धारा पर जोड़ने एवं प्रभावी जीवन दृष्टि बनाने हेतु इस योजना के तहत प्रत्येक महादलित परिवार को ट्रान्जिस्टर क्रय करने के लिए 400/– रू० दिया जाना है। पटना जिले के फुलवारीशरीफ प्रखंड के 739 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। **इसे शीघ्र ही सभी जिलो में कार्यावित किया जाएगा**

11. महादलित आंगनबाड़ी

महादलित बस्तियों में 500 परिवार पर कम–से–कम एक मिनि आंगनबाड़ी खोलने की योजना है। समेकित बाल–विकास सेवा (आई०सी०डी०एस) **के माध्यम से कार्यावयन किया जाएगा** । समेकित बाल–विकास सेवा (आई०सी०डी०एस) **से प्रस्ताव प्राप्त होते ही 7 करोड़ तक की राशि विमुक्त कर दी जाएगी।**

12. सामुदायिक रेडियो

महादलित वर्ग के कलाकारों को **सम्मिलित** कर रेडियो कार्यक्रम तैयार किया जायेगा एवं लोकगीत, लोककथाएं, लोकनृत्य आदि को प्रसारित किया जाएगा। अतः विभिन्न भाषायी केन्द्रों पर सामुदायिक रेडियो खोलने का प्रस्ताव है। इसमे प्राथमिकता के आधार पर उनके लोकज्ञान को तो प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही

साथ सरकारी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जाएगी। **सामुदायिक रेडियो के लिए समाचार पत्रों मे शीघ्र अभिरूचि अभिरूचि प्रस्ताव प्रकाशित की जाएगी ।**

मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि एवं सामुदायिक रेडियो योजना को प्रथम चरण मे जोड़कर गया जिले के दो महादलित टोलों मे स्थित सामुदायिक भवन मे रेडियो लगाकर कार्यक्रम का आकलन किया जाएगा एवं तदोपरांत इसका विस्तार पूरे राज्य मे किया जाएगा । विकास मित्र को इसके रखरखाव की जिम्मेवारी दी जाएगी 000 रुपये है । महादलित समुदाय से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम के लिए रेडियों प्रोग्राम निर्मित कर रेडियों पर प्रसारित किया जाएगा । इसके लिए अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। अभिरूचि प्रस्ताव दाताओं की 2010 को किया गया । शिघ्र ही एजेन्सी का चयन कर योजना की शुरुआत किया जाएगा ।

13. मैला प्रथा उन्मूलन

मैला प्रथा के उन्मूलन के लिए बिहार महादलित विकास मिशन के पदाधिकारियों द्वारा SRMS योजना के तहत मेगा कैम्प के सफल आयोजन हेतु राज्य के 38 जिलों मे सघन अनुश्रवण कार्य किए गए। इस योजनांतर्गत कुल लाभांवित 10000 व्यक्ति थे।

14. महादलित जलापूर्ति योजना

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु महादलित बस्तियों में 125 परिवार पर कम–से–कम एक स्वच्छ पेयजल का स्रोत उपलब्ध कराने के लिए मिशन द्वारा एक योजना की विस्तृत रूपरेखा बनाई गयी है। योजना का कार्यान्वयन मिशन के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग एवं सहभागिता से जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक स्थल चयन एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जायेगा।

15. महादलित आवास योजना

ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत महादलित परिवार को प्राथमिकता देकर लाभान्वित किया जा रहा है। भूमिहीन महादलित परिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के उपरान्त महादलित आवास योजना अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लाभान्वित किया जायेगा।

16. महादलित क्रेश

महादलित बस्तियों के आँगनबाड़ी के साथ एक–एक क्रेस खोलने का भी प्रस्ताव है। इसमें तीन वर्ष **तक के** बच्चों **की देख रेख करने** की व्यवस्था होगी। क्रे**श** खोलने से वे बच्चियाँ विद्यालय जा सकेंगी जिन्हें घर में बच्चों की देखभाल के लिए रूक जाना पड़ता है। इस योजना की शुरूआत **पॉयलट स्तर पर शीघ्र की** जायेगी ततपश्चात समीक्षा के उपरान्त इसका विस्तार किया जायेगा।

17. धनवंतरी मोबाईल चिकित्सा योजना

महादलितों की बस्ती में स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए वि**शे**ष मोबाईल आयुर्वेदिक वैन चलाया जायेगा। योजना के **कार्यांवयन** के संबंध में विचार–विम**र्श** कर एक कार्ययोजना का निर्माण किया गया है जिसके तहत् राज्य को 10 जोन में बांट कर चिकित्सक, औषधि एवं जांच किट सहित वैन निश्चित स्थान एवं समय पर महादलित टोलों में उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

दस मेडिकल मोबाईल यूनिट शिघ्र ही बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा महादलितों के लिए प्रारंभ किये जा रहे रहे है जिसमे एक मोबाईल यूनिट प्रति प्रमंडल अवस्थित किये जाएंगे एवं शेष एक का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाएगा । मेडिकल मोबाईल यूनिट की खरीद करने के पश्चात उसकी साज सज्जा एवं सजावट का कार्य हो रहा है और शीघ्र ही अनुमंडल स्तर पर अवस्थित किया जाएगा।

18. महादलित स्वास्थ्य-कार्ड योजना

महादलित बस्ती में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड दिये जाने की योजना है। **इस योजना का कार्यांवयन स्वास्थय विभाग द्वारा किया जाएगा । स्वास्थ्य कार्ड का प्रारुप राज्य के सभी सिविल सर्जनों को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित कर दिये गये है जिसे शिघ्र ही छपवा कर महादलित परिवारों मे वितरित किये जायेंगे ।**

19. अनुसूचित आवासीय विद्यालय

जिले के सभी अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली को लागू करा कर 60 प्रतिशत स्थान को महादलित समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त महादलित वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण संबंधी कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है । इसे शीघ्र हीं कार्यान्वित किया जाएगा, तथा इन आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं के पोषण स्तर का अध्ययन किया जाने वाला है।

20. महादलित बस्ती सम्पर्क योजना

महादलित बस्तियों को ग्रामीण पथ से जोड़ने के लिए एक महादलित बस्ती सम्पर्क पथ योजना तैयार की जायेगी। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा। महादलित मिशन द्वारा इस योजना का अनुश्रवण किया जायेगा।

21. अन्य

आम आदमी बीमा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ महादलित समुदाय तक पहुचाने के लिए श्रम विभाग से समंवय किया गया है एवं विकास मित्र एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को इसके लिए संवेदित किया गया है । इस कार्य में प्रगति का निरंतर समन्वय किया जा रहा है।

मनरेगा का लाभ सभी महादलितों तक विकास मित्रों के माध्यम से अक्टुबर 2010 तक पहुँचाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के साथ समंवय की जा रही है ।